न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मोहीदीन खां बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 99.../2025
निर्णय दिनांक ...7/11/2025.......

मोहीदीन खां पुत्र भूरे खां जाति कायमखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 57 की 5.3868 है० कृषि भूमि में सहखातेदार दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियों ने वादी का नाम मोहरूखां पुत्र भूरेखां दर्ज कर दिया गया है जो गलत है इसके स्थान पर वादी का नाम मोहीदीन खां पुत्र भूरे खां है उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड दस्तावेजों में वादी का नाम मोहीदीन खां पुत्र भूरे खां दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित नाम में भिन्नता होने से वादी को उक्त कृषिभूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी का नाम मोहरूखां पुत्र भूरेखां के स्थान पर मोहीदीन खां पुत्र भूरे खां दुरूस्त किया जावें। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई हानि नहीं होगी जबकि वादी को उक्त कृषिभूमि से सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने में सहलुयित रहेगी।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 57 की 5.3868 है० कृषि भूमि मे वादी का नाम मोहरूखां पुत्र भूरेखां के स्थान पर मोहिदीन खांन पुत्र भूरे खांन दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने मोहरूखां पुत्र भूरेखां एवं मोहिदीन खांन पुत्र भूरे खांन एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित किया है और वादी का नाम मोहिदीन खांन पुत्र भूरे खांन करने की अभिशंषा की है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों पर मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड में वादी का नाम मोहरूखां पुत्र भूरेखां पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मोहिदीन खांन पुत्र भूरे खांन अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 6 के खसरा संख्या 57 की 5.3868 है० के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम मोहरूखां पुत्र भूरेखां **Delete** कर इसके स्थान पर वादी का नाम मोहिदीन खांन पुत्र भूरे खांन अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...7/11/25......... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)